


15/07
दिसम्बर 2018

कार्यालय आदेश

विषय : स्वच्छता पखवाड़ा 16 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक मानाने के संदर्भ में

1. उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि निदेशालय को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या F.No.11-8/2018-GA.11 दिनांक 30 नवम्बर 2018 के तहत आदेश प्राप्त हुआ कि निदेशालय में दिनांक 16 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान मानाई जाने वाली गतिविधियों की प्रतिलिपि संलग्न है।
2. विस्तार निदेशालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने कमरे/अनुभाग/ईकाई में उचित सफाई कि गतिविधियाँ का आयोजन करें।
3. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य अनुभाग), कृषया, दो बैनर स्वच्छता पखवाड़ा एवं बेहतर स्वच्छता अभियान (Swachhta Pakhwada and better sanitation practices related) से संबंधित बनवाए तथा सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर कम से कम एक महिला शौचालय में प्रदान करें और कृषि सूचना (प्रभारी), कृषि विस्तार सदन के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से पौधारोपण का आयोजन करें।
4. मुख्या कलाकार, कला अनुभाग से अनुरोध किया जाता है कि स्वच्छता से संबंधित चित्रकारी दोनों भवनों की दीवारों में लगाए।
5. सहायक प्रोग्रामर से अनुरोध है कि निदेशालय की वेबसाइट पर स्वच्छता से संबंधित संदेश डालें।
6. अतः सभी अधिकारियां एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि स्वच्छता पखवाड़े के आयोजन में भरपूर सहयोग दें।
7. यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(वाई.पी. भट्ट)

उप निदेशक (प्रशासन)

1. सभी ईकाई प्रमुख/संयुक्त निदेशक/ शाखा अधिकारी/खण्ड प्रभारी।
2. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य अनुभाग)/कृषि सूचना (प्रभारी), कृषि विस्तार सदन, पूसा।
3. श्री पी.एन. शुक्ला, उप सचिव,(जी.ए.) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ हेतु।
4. निदेशक प्रशासन के निजी सचिव।

सहायक प्रोग्रामर, कृषि विस्तार भवन

Activities to be carried out during the "Swachhta Pakhwada" to be observed during 16th – 31st December, 2018

- a. Marketing Division may arrange for installation of Waste Decomposer plant in an e-NAM Mandi.
- b. Cleanliness Drive may be undertaken in all attached/ subordinate/ autonomous officers/ PSU of this Department.
- c. DMI and Dte. of PPQ&S may arrange Swachhta Competition among all their field units which parameter may cover the nearby premises/ village as well as the office building.
- d. Cleanliness drive may be undertaken in e-Nam Mandis by DMI which includes Swachhta Rallies, Seminar for farmers, door to door meetings to drive behaviour change towards better sanitation practices.
- e. Swachhta related paintings may be made on the walls of the office buildings.
- f. Village level Swachhta Rallies may be organized by all the attached/ subordinate/ autonomous officers/ PSU of this Department.
- g. Nation Centre of Organic Farming may organize symposiums/ demonstration on organic farming/ waste decomposition at village level.
- h. Dte. of PPQ&S may organize symposiums, awareness programmes for proper disposal of insecticide containers in nearby village of its field units.
- i. Swachhta Pakhwada and better sanitation practices related banners may be displayed and Tree plantation may be done in office premises at DAC&FW Hqrs. as well in all attached/ subordinate/ autonomous officers/ PSU of this Department.
- j. Sanitary napkin dispensers may be provided in at least one Ladies toilet at DAC&FW Hqrs. as well in its all attached/ subordinate/ autonomous officers/ PSU.
- k. Swachhta Message may be displayed on Websites of the Department.